



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक: संविक/ 3/ 2011 / q2

दिनांक: 05-8-2011

सूचना

विश्वविद्यालय प्रशासन के ध्यान में यह लाया गया है कि विश्वविद्यालय विकास शुल्क के नाम पर कतिपय महाविद्यालय/ महाविद्यालयों द्वारा 'विश्वविद्यालय विकास शुल्क' छात्रों से लिया गया है। समस्त महाविद्यालयीन प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई राशि/ शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। अतः सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी शुल्क विश्वविद्यालयीन अधिसूचना के बगैर न लिया जाए।

(डॉ. राजीव दीक्षित)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पृष्ठांकन क्रमांक: संविक/ 3/ 2011 / q2

दिनांक: 05-8-2011

प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
3. समस्त अधिकारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
4. कुलपति के सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. राजीव दीक्षित)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण